12.3.22	पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत से पेश हुई। पेशकार सा. की रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट के अनुसार तकनीकी विश्लेषण से राजहित प्रभावित नहीं है अतः लोक अदालत की भावना से पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दि 19.1.22 स्वीकार किया जाता है, राजीनामा के तहत वाद फाईनल डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर डिक्री पत्र किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.18 11:26:58 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला

कोटा

प्रकरण संख्या : 2/2022 तारीख दायरा 05.01.2022

उनवान

1. भंवरलाल पुत्र रामकल्याण जाति खाती निवासी ग्राम जोगडा।
2. अनुसूईया बाई पुत्री रामकल्याण जाति खाती निवासी ग्राम जोगडा।
3. गिरिजाबाई पुत्री रामकल्याण जाति खाती निवासी ग्राम जोगडा।
4. भूलीबाई पुत्री रामकल्याण जाति खाती निवासी ग्राम जोगडा तह0 सांगोद जिला कोटा राजस्थान। — वादीगण

बनाम

1. हनिफ खां पुत्र साबदार खां जाति खेलदार निवासी ग्राम बांगडसी तहसील खानपुर जिला झालावाड राजस्थान।
2. राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब सांगोद। — प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 188 आर. टी. एक्ट

उपस्थित :—

श्री बहादुर सिंह (वकील वादीगण) दिनांक :— 12.03.2022

श्री जितेन्द्र कुमार (वकील प्रतिवादी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.18 11:26:58 IST
Reason: SelfAttested

——निर्णय——

उपखण्ड मजिस्ट्रेट

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता इस आशय का वाद प्रस्तुत किया कि वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 के संयुक्त खाते व कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम जोगडा पटवार हलका हींगी तहसील सांगोद जिला कोटा में खाता सं0 नई 156 कुल 5 किता की 4.75 हैक्टर आराजीयात व खाता सं0 नई 231 की कुल 3 किता की 0.83 हैक्टर आराजीयात स्थित है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

–:: विवरण आराजीयात ::–

माल ग्राम	खाता सं0	खसरा नं0	रकबा हैक्टर
जोगडा	156	135 उत्तरी	0.09 हैक्टर
		238	1.80 हैक्टर
		311	1.00 हैक्टर
		312	1.70 हैक्टर
		43	0.16 हैक्टर

कुल 5 किता की 4.75 हैक्टर आराजी

जोगडा	231	384	0.20 हैक्टर
		386/1	0.09 हैक्टर
		390	[illegible] हैक्टर

कुल 3 किता की 0.83 हैक्टर आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.18 11:26:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट

वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड में दर्ज उनके हिस्से की आराजीयात का आपसी सहमति से मौके पर हिस्से अनुसार बंटवारा कर लिया है, जो निम्न प्रकार है :–

–:: विवरण बंटवारा आराजीयात ::–

अ. हिस्सा वादी कम 1, 2, 3, 4 (संयुक्त बांट बराबर)

माल ग्राम	खाता सं0	खसरा नं0	रकबा हैक्टर
जोगडा	156	135 उत्तरी	0.09 हैक्टर
		238	1.80 हैक्टर
		311	1.00 हैक्टर
		312	1.70 हैक्टर
		43	0.16 हैक्टर

कुल 5 किता की 3.27 हैक्टर आराजीयात।

ब. वादी नं0 1 भंवरलाल के एकल हिस्से की आराजी :–

माल ग्राम	खाता सं0	खसरा नं0	रकबा हैक्टर
जोगडा	231	386/1	0.09 हैक्टर में से 0.05 हैक्टर उत्तरी
		390	0.54 हैक्टर में से 0.27 हैक्टर उत्तरी

कुल 2 किता की 0.32 हैक्टर आराजी।

स. प्रतिवादी नं0 1 हनिफ के हिस्से की आराजी :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.18 11:26:58 IST
Reason: SelfAttested

माल ग्राम	खाता सं0	खसरा नं0	रकबा हैक्टर
जोगडा	231	386/1	0.09 हैक्टर में से 0.04 हैक्टर दक्षिणी

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

		390	0.54 हैक्टर मे से 0.27 हैक्टर दक्षिणी
		384	0.20 हैक्टर सम्पूर्ण
जोगडा	156	312	1.70 हैक्टर मे से 1.48 हैक्टर पश्चिमी

इस प्रकार कुल 1.99 हैक्टर आराजी।

वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजीयात का उक्त वाद पत्र की मद नं0 2 में वर्णित अनुसार वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 अपने–अपने हिस्से अनुसार बंटवारे में प्राप्त आराजी को शांति पूर्व काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं और उक्त हिस्से अनुसार ही वादीगण ने अपने–अपने हिस्से की आराजी में विकास कार्य करवाया है और उसी अनुसार आराजी हिस्सा को काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं।

उक्त आराजीयात के राजस्व रिकार्ड में वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 शामलाती खाता दर्ज होने व सभी के नाम दर्ज होने से बंटवारे में प्राप्त हिस्सा आराजी का अपनी सुविधा अनुसार उपयोग उपभोग करने में काफी परेशानी का सामना करना पडता है, जिसके लिए वादीगण द्वारा प्रतिवादी नं0 1 से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से का मौके पर कब्जे काश्त अनुसार आराजी का बंटवारा करवने के लिए कई बार निवेदन किया परन्तु प्रतिवादी नं0 1 टालमटूल करता रहता है तथा आज से एक माह पूर्व वादीगण द्वारा प्रतिवादी नं0 1 से राजस्व शिविर में चलकर बंटवारा करवाने की कहने पर भी प्रतिवादी नं0 1 तैयार नहीं होने से वादीगण के लिए आवश्यक हो गया है कि वे माननीय न्यायालय में घोषणा, विभाजन, [illegible] करके अपने हिस्से की आराजी का विभाजन करवावे जिसके लिए माननीय न्यायालय में उक्त वाद प्रस्तुत किया जा रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.18 11:26:58 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद पत्र में वर्णित आराजीयात मालग्राम जोगडा पटवार हलका हींगी
सील सांगोद जिला कोटा राजस्थान में खाता सं0 नई 156 कुल 5 किता की 4.75
टर आराजीयात व खाता संख्या 231 की कुल 3 किता की 0.83 हैक्टर आराजीयात
मौके पर आपसी सहमति से राजस्व रिकार्ड में हिस्से अनुसार व मद नं0 2 अ, ब, स
वर्णित बंटवारे अनुसार वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 के मध्य विभाजन में प्राप्त आराजी
घोषणा कर विभाजन किया जाकर घोषणा व विभाजन की डिकी पारित फरमायी
वें तथा उक्त विभाजन अनुसार राज लगान पृथक–पृथक अंकन किया जाकर राजस्व
कार्ड में अमल दरामद किये जाने के सादिर आदेश पारित फरमावें।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की
लबी की गई। प्रतिवादी न0 1 की ओर से अधिवक्ता श्री जितेन्द्र कुमार द्वारा वादी के
ाद का समर्थन करते हुए इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया तथा वादी व प्रतिवादीगण
ारा राजीनामा प्रस्तुत किया और मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री किये जाने मे अपनी
सहमति प्रदान की। वादी की पहचान वादी अधिवक्ता एवं प्रतिवादीगण की पहचान
प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा की गई। राजीनामा सरे इजलास पढकर सुनाया गया, किसी
भी व्यक्ति को कोई आपत्ति नहीं है। राजीनामा तस्दीक किया गया। पत्रावली दिनांक
12.03.2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत में रखी गई। प्रतिवादी सं. 2 ने अपनी रिपोर्ट पेश
कर प्रकरण में राजहित प्रभावित नहीं होना व्यक्त किया। वादी अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र
एवं राजीनामें में वर्णित तथ्यों के आधार पर वाद स्वीकार करने की प्रार्थना की गई।

मेरे द्वारा बहस वकील वादी सुनी गई तथा पत्रावली पर विद्यमान दस्तावेजों,
रेकार्ड, नकल जमाबंदी, इकबाली जवाब दावा एवं प्रस्तुत राजीनामे एवं सरकार पैरोकार
की रिपोर्ट आदि का गहनता से अवलोकन किया गया जिसके आधार पर उक्त वाद
स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि –

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.18 11:26:58 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

मालग्राम जोगडा पटवार हलका हींगी तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान मे खाता सं0 नई 156 कुल 5 किता की 4.75 हैक्टर आराजीयात व खाता संख्या 231 की कुल 3 किता की 0.83 हैक्टर आराजीयात में पक्षकार को निम्न प्रकार से खातेदार कृषक घोषित किया जाता है –

अ. हिस्सा वादी कम 1, 2, 3, 4 (संयुक्त बांट बराबर)

माल ग्राम	खाता सं0	खसरा नं0	रकबा हैक्टर
जोगडा	156	135 उत्तरी	0.09 हैक्टर
		238	1.80 हैक्टर
		311	1.00 हैक्टर
		312	1.70 हैक्टर में से 0.22 हैक्टर पूर्वी
		43	0.16 हैक्टर

कुल 5 किता की 3.27 हैक्टर आराजीयात।

ब. वादी नं0 1 भंवरलाल के एकल हिस्से की आराजी :–

माल ग्राम	खाता सं0	खसरा नं0	रकबा हैक्टर
जोगडा	231	386/1	0.09 हैक्टर में से 0.05 हैक्टर उत्तरी
		390	0.54 हैक्टर में से 0.27 हैक्टर उत्तरी

कुल 2 किता की 0.32 हैक्टर आराजी।

स. प्रतिवादी नं0 1 हनिफ के हिस्से की आराजी :–

माल ग्राम	खाता सं0	खसरा नं0	रकबा हैक्टर

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.18 11:26:58 IST
Reason: SelfAttested

जोगडा	231	386/1	0.09 हैक्टर में से 0.04 हैक्टर दक्षिणी
		390	0.54 हैक्टर मे से 0.27 हैक्टर दक्षिणी
		384	0.20 हैक्टर सम्पूर्ण
जोगडा	156	312	1.70 हैक्टर मे से 1.48 हैक्टर पश्चिमी

इस प्रकार कुल 1.99 हैक्टर आराजी।

उक्तानुसार वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्त घोषणा के अनुक्रम में इन्द्राज दुरस्त कर राज लगान पृथक–पृथक अंकन किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया किया जावें। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज पृथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करें। नियमानुसार डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 12.03.2022 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.18 11:26:58 IST
Reason: SelfAttested